

13/2/23

पत्रावली पेश हुई। वकील अपाथी उपस्थित व
पाथी वकील व पाथी को न्यायालय समय
तक बार-बार आवाज लगावारी शर्त लेकिन
कोई उपस्थित नहीं हुए तथा ना ही उपरोक्त
पर्याप्त अपसर देने पर भी जवाब नहीं दिया
गया। अतः पाथी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत
धारा 212 RTA एक्ट व 151 बालादीवानी
अंतर्गत धारा 9 नियम 3 अयम दायिरी अक्ष
पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर
दाखिल दफ्तर हो; निर्णय खुले न्यायालय
में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक